



Government of Rajasthan  
Office of the Commissioner, Mid Day Meal Programme  
Jaipur

क्रमांक एक 4(220) माधसि/एमडीएम/दिरा-निर्देश/03/ 6156

जयपुर दिनांक : 19.09.2011

जिला कलेक्टर,  
जिला समस्ता।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद समस्ता।

विषय:- मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत कुक कम हेल्पर के नियोजन सम्बन्धी मानदण्ड में परिवर्तन बाबत।

महोदय,

मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2010-11 से उन विद्यालय में जहां, विद्यालय स्तर पर शाला प्रबन्धन समिति (SMC) की देखरेख में भोजन बनाकर छात्रों को वितरित किया जाता है, में स्थानीय व्यक्तियों को कुक कम हेल्पर के रूप में सहयोग लिए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों के अनुसरण में प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के नामांकन के अनुसार 1 से 3 कुक तक व्यक्तियों का सहयोग इस कार्य में लिया जाना निर्देशित था।

विभाग द्वारा इसके उपरान्त यह देखने में आया है कि राज्य में कुछ विद्यालय ऐसे भी है जहां नामांकन 500 या उससे अधिक है। ऐसे विद्यालयों में अधिकतम 3 व्यक्तियों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। इस विभाग के क्रमांक 4274 दिनांक 24.05.2010 के आदेशों में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि वे विद्यालय जहां छात्रों का नामांकन 400 से अधिक है, वहां 400 विद्यार्थियों के पर्याप्त प्रत्येक 150 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त कुक कम हेल्पर का सहयोग शाला प्रबन्धन समिति के द्वारा लिया जावेगा। अतः कुक कम हेल्पर के नियोजन के मानदण्ड भविष्य में निम्नानुसार होंगे :-

क्र.सं.	विद्यालय में मिड डे मील हेतु पात्र नामांकित छात्र	संख्या (कुक कम हेल्पर)
1.	1-50	1
2.	51-150	2
3.	150-400	3
4.	401 से 550	4
5.	551 से 700	5
इसके उपरान्त प्रत्येक 150 छात्रों पर एक अतिरिक्त कुक		

कुछ कम हेल्पर के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्तियों को पूर्व की भांति ही प्रति व्यक्ति रु. 1000/- प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें।

मददीय,

*[Handwritten Signature]*

(महावीर मीणा)

उप आयुक्त

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आनुरति विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, मदरसा बोर्ड, राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि वास्ते पालनार्थ :-

9. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), जिला (समस्त)।
10. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, (समस्त)।

*[Handwritten Signature]*  
उप आयुक्त - 19/09/2011

भिडू डे खाद्य योजना का उद्देश्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गरम एवं फटा हुआ खाना उपलब्ध कराना है। विद्यालयों में विद्यार्थियों के उद्भव एवं नामांकन में वृद्धि भी इस योजना का उद्देश्य है।

### भिडू-डे-मील के अंतर्गत प्रति दिन प्रति छात्र आवंटित खाद्यान्न एवं राशि

	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	01-07-2013 से 31-03-2014 तक	01-07-2014 से 31-06-2015 तक	01-07-2015 से 31-03-2016 तक
<b>प्रति छात्र खाद्यान्न</b>						
कक्षा 1 से 5	100 ग्राम	100 ग्राम	100 ग्राम	100 ग्राम	100 ग्राम	100 ग्राम
कक्षा 6 से 8	150 ग्राम	150 ग्राम	150 ग्राम	150 ग्राम	150 ग्राम	150 ग्राम
<b>प्रति छात्र राशि (₹₹.)</b>						
कक्षा 1 से 5	2.69	2.89	3.11	3.34	3.59	3.76
कक्षा 6 से 8	4.03	4.33	4.65	5.00	5.38	5.64

जुलाई 2016 1-5 = 4.13 ₹ व 6-8 तक राशि 5.18 ₹  
विकेन्द्रीयकृत रसोईघर के लिए दिनवार भोजन मेन्यू

सोमवार	रोटी - सब्जी
मंगलवार	चावल एवं दाल अथवा सब्जी
बुधवार	रोटी - दाल
गुरुवार	खिचड़ी (दाल, चावल, सब्जी आदि युक्त) - फल
शुक्रवार	रोटी - दाल
शनिवार	रोटी - सब्जी

सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मात्रा के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जावे।  
सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य होगा।

**भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की मात्रा**

प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में सामग्री की मात्रा निम्नानुसार होगी :-

क्र.सं.	सामग्री	मात्रा प्रतिदिन/प्रतिछात्र	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1	खाद्यान्न (मि.दू./सब्जी)	100 ग्राम	150 ग्राम
2	दाल	20 ग्राम	30 ग्राम
3	सब्जी (पत्तीदार सब्जियाँ सहित)	50 ग्राम	75 ग्राम
4	तेल	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5	नमक एवं नसाले	आवश्यकानुसार	आवश्यकानुसार

1. प्राथमिक सहायता (एनएनटी) - प्रति छात्र - प्रतिदिन - विकेन्द्रीयकृत रसोईघर - प्रति छात्र प्रति दिन - रोटी - 100 ग्राम, दाल - 20 ग्राम, सब्जी - 50 ग्राम, तेल - 5 ग्राम, नमक एवं नसाले - आवश्यकानुसार।  
2. उच्च प्राथमिक सहायता (एनएनटी) - प्रति छात्र - प्रतिदिन - विकेन्द्रीयकृत रसोईघर - प्रति छात्र प्रति दिन - चावल - 150 ग्राम, दाल - 30 ग्राम, सब्जी - 75 ग्राम, तेल - 7.5 ग्राम, नमक एवं नसाले - आवश्यकानुसार।